भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4433
दिनांक 27 मार्च, 2025

इथेनॉल सम्मिश्रण का कुक्कुट पालन उद्योग पर प्रभाव

†4433. डॉ. नामदेव किरसान :
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनॉल सम्मिश्रण के विस्तार, विशेषकर खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और वायु गुणवत्ता संबंधी, पर किए गए प्रभाव आकलन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;
(ख) इथेनॉल के बढ़े हुए उत्पादन के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय अथवा कृषि संबंधी दुष्परिणामों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ग) चारे का उपयोग कुक्कुट पालन उद्योग से इतर इथेनॉल उत्पादन हेतु करने के कारण इस उद्योग पर क्या विशिष्ट प्रभाव पड़ा है और सरकार द्वारा इस उद्योग को इस स्थिति से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(घ) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में इथेनॉल सम्मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार 20 प्रतिशत के सम्मिश्रण के लक्ष्य को पाने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण सम्बन्धी संधारणीय प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी विनिमय की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है।

ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से जनवरी, 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ है, इसके अलावा 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी विनिमय की बचत हुई है, लगभग 626 लाख मीट्रिक टन निवल सीओ2 में कमी आई है और 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में मकई, कसावा, सड़े आलू जैसे फीडस्टॉक, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, मक्का, गन्ना रस और शीरा, कृषि अवशेष (चावल की भूसी, कपास का डंठल, भुट्टे, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि) को बढ़ावा दिया जाता है। एथेनॉल उत्पादन के लिए पृथक-पृथक

फीडस्टॉक के उपयोग की सीमा वार्षिक आधार पर भिन्न-भिन्न होती है और उपलब्धता, लागत, आर्थिक व्यावहार्यता, बाजार माँग और नीतिगत प्रोत्साहन जैसे घटकों द्वारा प्रभावित होती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना रस, इसके उपोत्पादों, मक्का आदि से किसी भी प्रकार के विपथन को सुसंगत हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक कैलीब्रेट किया जाता है।

सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए किसानों को चावल, गन्ना आदि जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों से विविधीकरण करते हुए मक्का जैसी अधिक फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। "भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25" में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रौद्योगिकी प्रगति ने इनसीनिरेशन बॉयलरों के साथ शीरा आधारित आसवनियों और अनाज आधारित आसवनियों के लिए शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) इकाइयों में बदलना संभव बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम प्रदूषण होता है।

(ग): सरकार ने पोल्ट्री उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए उपाय कार्यान्वित किए हैं। देश के लगभग 60% मक्का का उपयोग पोल्ट्री उद्योग द्वारा किया जाता है। पोल्ट्री फीड की निरंतर उपलब्धता और किफायत्ता को सुनिश्चित करने के लिए फीड स्रोतों में विविधीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को पोल्ट्री फीड के रूप में ज्वार, टूटे चावल और बाजरा (पर्ल मिलेट) जैसी वैकल्पिक फीड सामग्री को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, मक्का जैसे अनाज से एथेनॉल का उत्पादन करने से एक मूल्यवान सह-उत्पाद प्राप्त होता है जिसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स (डीडीजीएस) के रूप में जाना जाता है, जो प्रोटीन से भरपूर होता है और मवेशियों तथा पोल्ट्री फीड के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

(घ): जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018, वर्ष 2022 में यथा संशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 कर दिया है। चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 28.02.2025 तक 17.98% एथेनॉल मिश्रण को हासिल कर लिया है। फरवरी 2025 के माह के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा 19.68% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया गया था। ईएसवाई 2024-25 के दौरान दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त मिश्रण प्रतिशत **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

"इथेनॉल सम्मिश्रण का कुक्कुट पालन उद्योग पर प्रभाव" के संबंध में डॉ. नामदेव किरसान और एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4433 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ईएसवाई 2024-25 के दौरान दिनांक 28.02.2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त एथेनॉल मिश्रण

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)	मिश्रण % (बिक्री)
उत्तर प्रदेश	17.63%
महाराष्ट्र	17.79%
तमिलनाडु	18.26%
कर्नाटक	18.28%
केरल	18.58%
गुजरात	17.94%
आंध्र प्रदेश	18.02%
तेलंगाना	18.20%
हरियाणा	18.63%
मध्य प्रदेश	18.29%
राजस्थान	17.99%
पश्चिम बंगाल	18.68%
पंजाब	18.48%
असम	17.96%
ओडिशा	18.34%
बिहार	17.95%
दिल्ली	18.00%
छत्तीसगढ	15.31%
झारखंड	17.51%
हिमाचल प्रदेश	18.47%
उत्तराखंड	17.96%
गोवा	14.90%
जम्मू और कश्मीर	17.57%
अरुणाचल प्रदेश	17.78%
लक्षद्वीप	15.00%
लद्दाख	15.00%
सिक्किम	18.50%
अंडमान और निकोबार	5.00%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	18.01%
नागालैंड	18.10%
त्रिपुरा	17.69%
मिजोरम	15.41%
मणिपुर	16.84%
चंडीगढ़	18.27%
मेघालय	17.94%
पुद्दुचेरी	18.37%
संचयी एथेनॉल मिश्रण	**17.98%**

****